ग्राम पंचायत दाहन, विकास खंड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की **धारा** 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि० प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत दाहन विकास खंड राजगढ़ **,** ज़िला सिरमौर के अवधि **1/**4/2013 से **31/**3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री जगत सिंह ठाकुर	1.04.2015 से 10.4.2015
2	श्री सतपाल	11.4.2015 से 26.8.2015
3	श्री जगत सिंह ठाकुर	27.8.2015 से 20.1.2016
4	श्री सतपाल	21.1.2016 से 31.3.2016

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री जोगीन्दर अत्री	1.04.2013 से 20.10.2013
2	कुमारी मृदुला	21.10.2013 से 31.03.2016

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत दाहन के अवधि **1/**4/2013 से **31/** 3/2016 के लेखाओं **के** अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	7	अनुदान **की** राशि का उपयोग न करना	9.17
2	8	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना	0.50
3	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही **स्टॉक** स्टोर का क्रय **करना**	4.79
4	10	**ग्राम पंचायत के खातों से स्थानांतरण की राशि की पुष्टि न होना**	1.21
5	12	**बिना बिल/वाउचर के भुगतान हेतु आहरित राशि का संभावित दुरुपयोग**	0.46
6	13	पंचायत वित्त नियम 17(2) की अवहेलना कर बिना पावती/रसीद के भुगतान **करना**	0.85

8	15	सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय मे अनियमित**ताएं**	2.86
9	1**7**	मस्ट्रोल बिलों **की** एम बी (माप पुस्तिका)मे प्रविष्टि किए बिना ही भुगतान **करना**	1.59
10	1**8**	जेसीबी चार्जीस का अनियमित भुगतान **करना**	1.1**9**
11	2**0**	**गृहकर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना**	0.1**9**

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत दाहन , विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि **1/**4/2013 से **31/**3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण **,** श्री अमर दत्त, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 15/06/2016 व 15/7/16 से 19/7/2016 तक ग्राम पंचायत दाहन के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः **माह** 11/2013, 6/2014, 3/2016 **तथा माह** 12/2013 , 7/2014, 8/2015 का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है ।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण /गलत व उपलब्ध न होने की स्तिथि मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु **,** स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि०प्र० उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दाहन , विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि **1/**4/2013 से **31/**3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि ०प्र० शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जीपीआडिट/एसएलएन – सिरमौर/2016-17-13 दिनांक 15/07/2013 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दाहन से अनुरोध किया गया । तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत दाहन के पत्रांक संख्या : जीपी दाहन/ 2016-17/07-2016 दिनांक 19/07/2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की **राशि** को बैंक ड्राफ्ट संख्या:399485 दिनांक 19/07/2016 से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित किया गया है ।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत दाहन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि **1/**4/201**3** से **31/**3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(क) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत दाहन के अवधि **1**/4/2013 से **31/**3/2016 **की** स्व स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-2014	---	15245	15245	8685	6560
2014-2015	6560	13591	20151	9420	10731
2015-2016	10731	32905	43636	33141	10495

नोट : ग्राम पंचायत दाहन द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण इसकी प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता -A में रखे जाने का प्रावधान है। अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) अनुदान:- ग्राम पंचायत दाहन **की** अवधि **1/**4/2013 से **31/**3/2016 के अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट -1"** मे भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-2014	659852.35	3786707	4446559.35	3794613	651946.35
2014-2015	651946.35	3014995	3666941.35	2917154	749787.35
2015-2016	749787.35	1106127	1855914.35	938711	917203.35

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना

(क) जांच में पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत दाहन की रोकड़ बही व बैंक खाते के मिलान करने पर पाया गया कि दिनांक 14/03/2016 **को सामान्य निधि खाता संख्या** 56310100011 **मे** ₹9500 **जमा की गई है, परंतु रोकड़ बही मे यह स्पष्ट नहीं किया गया है की यह राशि किस स्त्रोत से प्राप्त की गई है, जिसे स्पष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाये।**

6 बजट प्राक्लन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत **की** आय-व्यय **का** प्राक्लन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था **, जोकि नहीं करवाया गया।** इस प्रकार बजट प्राक्लन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्लनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्लन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 अनुदान की ₹ 9.17 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध कारवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31/03/2016 **तक अनुदानों से प्राप्त राशि में से** ₹9,17,203 **उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये।**

8 अस्थाई अग्रिमों की ₹.50 लाख का समायोजन न करना

ग्राम पंचायत दाहन के अंकेक्षण के दौरान पाया गया **कि** पंचायत द्वारा पंचायत के पूर्व प्रधान श्री जगत राम ठाकुर को राजकीय उच्च विद्यालय दाहन के लिए खेल सामग्री के क्रय हेतु **अग्रिम** ₹50000 का भुगतान दिनांक 4/12/2013 को चैक संख्या 109363 द्वारा **किया** गया था। **परन्तु** श्री जगत राम ठाकुर द्वारा अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक उक्त अग्रिम से संबन्धित कोई भी बिल/वाउचर ग्राम पंचायत कार्यालय मे प्रस्तुत नहीं किए गए **।** अतः **उक्त** अग्रिम ₹50000 की राशि समायोजन हेतु शेष है **,** जबकि **उक्त** ग्राम पंचायत प्रधान का कार्यकाल दिनांक 20/01/2016 को समाप्त हो चुका है। **इस प्रकार** अस्थाई अग्रिम का समय पर समायोजन न करवाने के कारण अग्रिम ₹50,000 के दुर्विनियोजन की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः **उक्त** ₹50,000 को हिमाचल प्रदेश वित्तिय नियम खंड-1 (HPFR Vol-1) के नियम 10.5 सह पठित नियम 10.12(16)(ii)के अनुसार 15% वार्षिक ब्याज सहित (3% दण्ड स्वरूप ब्याज सम्मिलित) वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 4.79 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) **के अंतर्गत स्टॉक** स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधिक है , जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹50,000 से कम के क्रय हेतु **कोटेशनें** आमंत्रित **की जानी** तथा ₹50,000 से अधिक के क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद ही क्रय किए जाने का प्रावधान है**,** ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त होकर , न्यूनतम बाजारी मूल्यों पर एच्छिक वस्तुओं **की** प्राप्ति हो सके **। इसके अतिरिक्त** नियम 3(ए) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत **के** नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा कोटेशने/टेंडर आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है परंतु ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार के क्रय हेतु न तो उप समिति का गठन किया गया और न ही कोई कोटेशने/टेंडर प्राप्त किए जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। उक्त नियमों **की** अवहेलना कर पंचायत द्वारा ₹4,79,137 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया है , जिसका विस्तृत विवरण **"परिशिष्ट-2"** मे दिया गया है । अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी **की** स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य मे नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 ग्राम पंचायत के खातों से स्थानान्तरित की गयी ₹1.21 लाख के स्थानांतरण की पुष्टि न होना

ग्राम पंचायत दाहन के अंकेक्षण के दौरान पाया गया **कि** पंचायत द्वारा प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) खाता संख्या 34250100002183, बैंक ऑफ बड़ौदा राजगढ़ से ₹1,18,000 को दिनांक 12/8/2015 को ग्राम पंचायत हाब्बन को स्थानांतरित किया गया है तथा इसी प्रकार इन्दिरा आवास योजना के खाता संख्या 56310100155 (हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित राजगढ़) से भी ₹3,187 को खंड विकास अधिकारी राजगढ़ को स्थानांतरित किया गया है परंतु **उक्त स्थानान्तरित की गयी** राशि**यों** के सम्बंधित खातों मे जमा होने से सम्बंधित कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय मे उपलब्ध नहीं था **,** जिसे एकत्रित कर**के** स्थानांतरित राशि के सही खाते में जमा होने की पुष्टि करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 रसीद बुकों को स्टॉक स्टोर रजिस्टर मे दर्ज न करना

जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर के पत्र संख्या PCN-SMR-stationary-6005 दिनांक 27/07/2015 के संदर्भ मे पंचायत निरीक्षक , विकास खंड राजगढ़ द्वारा 20 रसीद **बुकें** तथा एक मस्ट्रोल **की** ₹885 **अर्थात** (₹35 प्रति रसीद बुक व ₹185 प्रति मस्ट्रोल्ल बुक) प्राप्त कर पावती के आधार पर ग्राम पंचायत दाहन को जारी की गई है। रसीद बुकों के अवलोकन पर पाया गया **कि** ग्राम पंचायत को जारी की गई किसी भी रसीद बुक पर बुक नंबर अंकित नहीं **किए गए** है तथा सभी रसीद बुकों पर एक ही प्रकार की क्रम संख्या 1 से 100 तक अंकित की गई है **।** इसके अतिरिक्त रसीद

बुकों पर पंचायत वित्त नियम 2002 के नियम 13(4) व 13(5) मे वांछित प्रमाण पत्र भी ज़िला पंचायत अधिकारी व संबन्धित सचिव द्वारा नहीं दिया गया है , जिसकी अनुपस्थिति मे रसीद बुकों के दुर्विनियोजन की पूर्ण संभावना है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा न तो उपरोक्त रसीद बुकों और न ही पूर्व मे प्राप्त की गई रसीद बुकों **की** स्टॉक रजिस्टर मे प्रविष्ट **की गई** है**,** जोकि नियमानुसार किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही अम्ल मे लाते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12 बिना बिल/वाउचर के ₹.46 लाख के भुगतान हेतु आहरित की गई राशि का संभावित दुरुपयोग

ग्राम पंचायत दाहन के अंकेक्षण के दौरान पाया गया **कि** ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार ₹46,340 का बिना किसी बिल/वाउचर के भुगतान **किया गया** दर्शाया गया है। इस **भु**गतान से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाउचर सम्बन्धित नस्ति मे उपलब्ध नहीं **थे** और न ही अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण को प्रस्तुत कि **ए ग ए**। इस प्रकार से संबन्धित खातों से किया गया ₹46,340 का भुगतान पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 47(1) व (2) की स्पष्ट अवहेलना होने के कारण अनियमित है तथा आहरित की गई **उक्त** राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है **।** अतः मामले की अधिकारिक जांच कर **के स्थिति** स्पष्ट **की** जाए **कि** किस प्रकार बिना बिल के उक्त राशि का भुगतान **किया गया** दर्शाया गया है तथा भुगतान की पुष्टि न होने पर ₹45,160 की वसूली दंड ब्याज सहित करके **इसे** पंचायत निधि मे जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बिना बिल/वाउचर के दर्शाये गए भुगतान का विवरण

क्रम सं0	**रोकड़ बही**	**दर्शाया गया भुगतान**	**दिनांक**	**रोकड़ बही पृष्ट संख्या**
1	इन्दिरा आवास योजना	22805	6/06/2013	52
		22805	16/08/2013	53
2	जलागम परियोजना	268	03/07/2014	36
3	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)	462	12/08/2015	12
	कुल	**₹46340**		

13 पंचायत वित्त नियम 17(2) की अवहेलना कर के ₹0.85 का भुगतान बिना पावती/रसीद के करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000 से अधिक का भुगतान मात्र चैक से ही किए जाने का प्रावधान है , जिसकी अनुपालना न करके ग्राम पंचायत द्वारा मै० एस कुमार फर्नीचर राजगढ़ को ₹85001 का भुगतान **उन**के बिल संख्या 000085 दिनांक 10/2/2015 ₹ 20000 **तथा बिल** 000091 दिनांक 24/2/2015 ₹65001 के **एवज में** नगद

रूप से **किया गया** दर्शाया गया है **,** जब**कि** नगद **भु**गतान से संबन्धित कोई भी कोई रसीद/पावती प्राप्त कर बिल के साथ संलग्न नहीं की गई है जो **कि** नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। **इसके** अतिरिक्त ₹50,000 से अधिक का फ़र्निचर क्रय करने हेतु पंचायत के वित्त नियम 2002 के नियम 67 मे वर्णित क्रय से संबन्धित औपचारिकताओं का भी पालन **भी** नहीं किया गया और पंचायत को प्राप्त होने वाले न्यूनतम प्रतियोगी मूल्यों से वंचित किया गया है। **उपरोक्त के अतिरिकत** क्रय किए गए फ़र्निचर की स्टॉक प्रविष्टि भी नहीं की गई है। अतः उक्त वर्णित अनियमितताओ का औचित्य स्पष्ट किया जाए **कि** उक्त राशि का भुगतान चैक द्वारा क्यों नहीं किया गया, यदि भुगतान संबन्धित फ़र्म को कर दिया गया है तो उसकी पावती प्रस्तुत की जाए **तथा स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि भी की जाए** अन्यथा ₹85001 को पंचायत निधि मे जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य मे ₹1000 से अधिक का भुगतान चैक द्वारा ही किया जाए तथा प्रत्येक क्रय की स्टॉक प्रविष्टि की जानी सुनश्चित की जाए।

14 कार्य का पूर्ण विवरण दिये बिना ही ₹3200 का भुगतान करना

ग्राम पंचायत द्वारा श्री सोम दत्त सुपुत्र श्री बिशन सिंह गाँव बखोटा को रेत व सीमेंट की ढुलाई हेतु ₹3200 का भुगतान चैक संख्या 505429 दिनांक 19/10/2015 द्वारा किया गया है जिसकी उनके द्वारा एक सादे कागज पर रसीद ग्राम पंचायत दाहन को दी गई है **,** परंतु रसीद मे न तो रेत व सीमेंट के बैग की संख्या दी गई है **और** न ही यह दर्शाया गया है **कि** सामान की ढुलाई कहाँ से कहाँ तक की गई है , ढुलाई किस कार्य से संबन्धित है और न ही इस रसीद की एम बी (माप पुस्तिका) मे प्रविष्टि की गई है। अतः स्पष्ट किया जाए की उक्त भुगतान किस प्रकार से न्यायोचित व तर्कसंगत है तथा भविष्य मे इस प्रकार रसीदों के आधार पर भुगतान न करके उचित बिल के आधार पर ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसमे किए गए कार्य का पूर्ण विवरण **दिया** हो **तथा माप पुस्तिका में प्रविष्टियाँ भी की गई हों**।

15 ग्राम पंचायत द्वारा ₹2.86 लाख की सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय मे अनियमितताएं

ग्राम पंचायत दाहन द्वारा प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत मेसर्स त्रिनेत्रा **एंटरप्राइज़स** सोलन से उनके बिल संख्या 0326 दिनांक 8/02/2014 के **अंतर्गत** से 12 सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय ₹23,500 (₹4700 कर (tax) **(**अतिरिक्त) प्रति लाइट की दर से ₹2,8**5**,700 मे किया गया, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(क) दिनांक 12/11/2013 को अनुसूचित जाति ब्लाक दाहन मे वार्ड सदस्य श्रीमती अंजु देवी की अध्यक्षता मे उप ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमे यह प्रस्ताव पारित किया गया **कि** प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 10 सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय किया जाए **तथा** दिनांक 13/11/2013 को ग्राम सभा की बैठक मे इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया तथा सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय हेतु क्रय समिति का भी गठन किया गया **,** परंतु क्रय से संबन्धित कोटेशने

दिनांक 21, 23 व 24/08/2013 को ही बाइहैंड लेकर रख ली गई थी अर्थात क्रय समिति के गठन से लगभग 4 महीने पहले ही कोटेशने प्राप्त कर ली गई थी । अतः क्रय समिति के गठन **से** पूर्व मे ही कोटेशने प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ख) उक्त ₹2,85,700 की सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय हेतु पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अंतर्गत प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की गई अर्थात क्रय हेतु नियम 67(3) के अंतर्गत **तथा नियम** 67(5) के अंतर्गत **कमेटी का गठन कार्य** निर्धारित विधि द्वारा टेंडर आमंत्रित **नहीं किए गए तथा** खरीदी गई सोलर स्ट्रीट लाइटों की भंडारण **पुस्तकों में** प्रविष्टि **भी** नहीं की गई **थी**।

(ग) उप ग्राम सभा व ग्राम सभा द्वारा 10 सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय का प्रस्ताव पारित किया गया था**,** जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 12 सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय किया गया है । अतः पारित प्रस्ताव से अधिक स्ट्रीट लाइटों के क्रय का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(घ) सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय हेतु न तो सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई और न ही इस क्रय से संबन्धित आवश्यक प्राक्कलन तैयार किया गया **। अत: उक्त अनियमितता का** औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ड़) इस आशय की कोई पुष्टि नहीं की **सकी कि** खरीदी गई सोलर स्ट्रीट लाइटों को उन्ही चिन्हित स्थानों पर स्थापित कर दिया गया है**,** जहां के लिए इन्हे क्रय किया गया था **अथवा नहीं**।

16 तकनीकी सहायक को ₹2250 के कमीशन का भुगतान करना

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12/08/2015 को श्री मति पूनम शर्मा , तकनीकी सहायक को ₹2250 का बतौर कमीशन भुगतान किया गया है **,** परन्तु कमीशन **के** भुगतान से संबन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं कि **ए** ग**ए**, जिससे **कि** तकनीकी सहायक को किए गए ₹2250 के भुगतान की पुष्टि **नहीं** हो **सकी**। अतः **यह** स्पष्ट किया जाये **कि कमीशन के रूप में यह भुगतान** किस कार्य के आधार पर व किस दर से किया गया है।

17 मस्ट्रोल के बिलों की ₹1.59 लाख की माप पुस्तिका मे प्रविष्टि किए बिना ही भुगतान करना

ग्राम पंचायत द्वारा मस्ट्रोल **के** बिलों के माध्यम से करवाये गए विभिन्न कार्यों हेतु मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया गया है परन्तु उनके द्वारा क्या कार्य किया गया **,** तथा कितनी मात्रा मे **कार्य** किया गया इसका कोई भी उल्लेख न तो किसी **भी** रजिस्टर **/अभिलेख** मे दिया गया है और न ही संबन्धित मस्ट्रोल बिलों पर **तथा** न ही किसी एम बी मे **इनकी** प्रविष्टि का उल्लेख किया गया है **,** जिसकी अनुपस्थिति मे मस्ट्रोल **के** बिलों पर किये गए भूगतान को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है **।** अतः सभी मस्ट्रोल **के** बिलों **की** सम्बंधित अभिलेख मे प्रविष्टि **की जानी** सुनिश्चित **की** जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त वर्णित भुगतानों से संबन्धित मस्टरोलों का विवरण निम्नानुसार है**:-**

क्रम संख्या	मस्ट्रोल संख्या	कार्य का नाम	माह	मस्ट्रोल राशि
1	8149	c/o meeting hall at Daahan	01/14	15456

2	09402	--do--	12/13	24978
3	09422	c/o pulliya at L/R Swana	05/15	21080
4	09428	c/o protection wall at Berio khad	07/15	35530
5	09429	c/o meeting hall at Daahan	11/15	6800
6	09411	Creat wire Brayla	06/14	28200
7	09412	Irrigation pipe line at stail	06/14	27000
			Total Rs.	**1,59,044**

18 जेसीबी चार्जीस के रूप में ₹1.19 लाख का अनियमित भुगतान करना

ग्राम पंचायत दाहन के अवधि **1/**4/2013 से **31/**3/2016 के अंकेक्षण के दौरान पाया **गया कि** ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु जे सी बी को 800 प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर ₹1,18,800 का भुगतान बिना **कोटेशनें**/टेंडर प्राप्त किये ही किया गया है **, जिनका** (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- 3** पर) **दिया गया है**, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रावधित नियमों के अनुसार ₹1000 से अधिक के भुगतान/क्रय के लिये निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है **। इस प्रकार** जेसीबी को प्रति घंटे के आधार पर किराए पर लगाने से पूर्व नियम 67(3) के अन्तर्गत समिति का गठन व नियम 67(5) के अन्तर्गत निर्धारित विधि द्वारा टेंडर आमंत्रित किया जाना अनिवार्य था, जिसकी अनुपालना किये बिना ही जेसीबी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है। **इसके अतिरिकत** जेसीबी से करवाए गए कार्य **की** न तो कनिष्ट अभियंता द्वारा माप पुस्तिका में और न ही किसी अन्य पंजिका में प्रविष्ट **की गई** है**,** जिसकी अनुपस्तिथि में जेसीबी चार्जिस का किया गया भुगतान उचित व् तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है **,** जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार के कार्यों के भुगतान को कनिष्ट अभियंता से सत्यापित करवाकर तथा माप पुस्तिका में प्रविष्ट कर**के तथा** माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या का विवरण सम्बंधित बिलों पर देने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा **परिशिष्ट-3** पर वर्णित बिलों/भुगतानों की सम्बंधित माप पुस्तिका व अन्य पंजिकाओ में प्रविष्टि कर **के** अवलोकनार्थ अंकेक्षण **को** प्रस्तुत **की** जा**नी** सुनिश्चित **की** जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त श्री विनोद कुमार ठेकेदार को जेसीबी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौती नहीं की गई है **,** जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदार से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतीयां की जानी **अपेक्षित** थी।

a) आयकर 2%
b) सेल्स टैक्स 3%
c) प्रतिभूति राशि 10%
d) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

19 स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारता

ग्राम पंचायत दाहन को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है **कि** ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है , जिसका प्रमुख कारण यह है **कि** एक ओर तो ग्राम पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित नहीं की गई है और न ही इन करों/ शुल्कों से सम्बंधित दरें अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं की गई । **तत्पश्चात** ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 6/02/2015 को प्रस्ताव संख्या 18 द्वारा विभिन्न करों व शुल्कों की निम्न दरें निर्धारित की गई **थी**:-

क्रम संख्या	विवरण	दरें (शुल्क/कर)
1	विवाह पंजिकरण शुल्क	100
2	विवाह प्रमाण पत्र	50
3	जन्म पंजीकरण	25
4	जन्म प्रमाण पत्र प्रारूप-5	25
5	मृत्यु प्रमाण पत्र प्रारूप-6	25
6	परिवार नक़ल/परिवार छायाप्रति	25
7	पशु पंजीकरण शुल्क	10
8	अपर्याप्तता प्रमाण पत्र	25

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त मदों **की दरें** निर्धारित करते समय गृहकर से प्राप्त होने वाली आय की कोई भी दर निर्धारित नहीं की गई है , जिससे की ग्राम पंचायत को सबसे अधिक आय प्राप्त हो सकती है, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अन्य दरों की तरह ही गृहकर की दरों का भी निर्धारण किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त होने वाली आय को वसूल कर **के संबन्धित अभिलेख** अवलोकनार्थ अंकेक्षण **को** प्रस्तुत **किए जाने** सुनिश्चित कि**ए** जा**एं।**

20 गृहकर के रूप में ₹.19 की वसूली हेतु शेष पाया जाना

ग्राम पंचायत दाहन के सचिव द्वारा आडिट मेमो संख्या 7 –2016-2017-17 दिनांक 15/07/2016 के सन्दर्भ में गृहकर के सन्दर्भ में जो **सू**चना प्रदान की गई , उसके अनुसार दिनांक 31/03/2016 को गृहकर **की** ₹18,560 वसूली **हेतु** शेष है**,** जिसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। अतः ₹18560 की वसूली हेतु शीघ्र अतिशीघ्र उचित पग उठाये जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष	परिवारों की संख्या	दर	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	शेष वसूली

2013-14	423	20	8460	----	8460
2014-15	435	20	8700	----	8700
2015-16	454	20	9080	7680	1400
				कुल वसूली योग्य राशि	**18,560**

21 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों /कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान करना

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया **कि** पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार, पशु चिकित्सक सहायक, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका व पानी आपूर्ति सहायक **इत्यादि** को मासिक मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत निधि से किया गया है , परन्तु मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज / अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं **करवाए गए**, जिस कारण मानदेय भुगतान की सही दरों की पुष्टि नहीं हो सकी । अतः मानदेय भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत कार्यालय में उपलब्ध **करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।**

22 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया **कि** पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो **कि** अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

i) अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
ii) रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक **की** मिलान **विवरणी**
iii) चैक जारी करने का रजिस्टर
iv) चल अचल संपत्ति का रजिस्टर
V) आकस्मिक व्यय रजिस्टर
Vi) चैक प्राप्ति रजिस्टर
Vii) अग्रिमों का रजिस्टर
Viii) रसीद बुकों का रजिस्टर
ix) प्राक्कलन, तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर

23 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है , जिस बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित **कार्रवाई** अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

24 अन्य विविध आनियमितताएँ

(क) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है , जबकि पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है , जब तक **कि** ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित न किया गया हो । अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) पंचायती राज वित्त नियम , 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा सम्बंधित व्यय को पारित किये जाने की प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे भुगतान किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है , जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

25 लघु अपति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गयी है।

26 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(70) 3/2016–खण्ड–1–5552–5555 दिनाँकः 21.10.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत दाहन, विकास खण्ड राजगढ, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना

सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ, जिला सिरमौर, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.